

उपखण्ड अधिकारी
गाड़पेर

25.11.24

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता प्रार्थी व प्रार्थीगण के नाम से अलग-अलग समय पर तीन बार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता प्रार्थी व प्रार्थीगण अपने प्रार्थना-पत्र को लेकर गंभीर नहीं हैं। लिटाना प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 'अदम पैखी' व 'अदम हजिरि' में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो व नम्बर से कम हो।

25/11/24

उपखण्ड अधिकारी
गाड़पेर

